

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेश नीति/2012-13/114

दिनांक: 25 मई, 2012

समस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय: अकादमी सत्र 2012-13 की प्रवेश नीति में संशोधन वाक्य।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक: 103 दिनांक: 08.05.2012 के अनुसार वेबसाईट पर अपलोड की गई अकादमी सत्र 2012-13 की प्रवेश नीति में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं, जिन्हें नोट करना सुनिश्चित करें :-

1. राज्य सरकार की प्रवेश नीति के षष्ठम् भाग आरक्षण रियायतें एवं लागू के 6.1 में सम्मिलित किया जाता है -  
पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में विशेष पिछड़ा वर्ग सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये 1 प्रतिशत का अलग से प्रावधान देय है।
2. प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या: 6.2 विकलांग अभ्यर्थी के "ब" में 3 प्रतिशत स्थान विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगे, के स्थान पर 3 प्रतिशत स्थान विकलांग अभ्यर्थियों हेतु क्षतिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुकूल आरक्षित रहेंगे, से प्रतिस्थापित किया जाता है।
3. प्रवेश नीति के पृष्ठ 34 पर सत्र की गतिविधियां एवं अवकाश के अन्तर्गत पृष्ठ 35 पर बिन्दु 16 नवीन सत्रारम्भ के सम्मुख मंगलवार 02.07.2013 के स्थान पर सोमवार 01.07.2013 किया जाता है।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक,  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेश नीति/2012-13/115

दिनांक: 25 मई, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

3. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/ अजमेर/ कोटा/ बीकानेर/ जोधपुर/ उदयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने संभाग में स्थापित राजकीय महाविद्यालयों को अवगत करावें।
4. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर। कृपया प्रवेश नीति 2012-13 से संबंधित उक्त संशोधनों को वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक,  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर